न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–05 / 2023

अपीलाण्ट	बनाम	उतरदाता
भगवतसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी जसोल तहसील पचपपदरा		1.सरपंच ग्राम पंचायत माजीवाला 2.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा 3.प्यारीदेवी पत्नि मांगीलाल जाति राजपुरोहित निवासी मांजीवाला तहसील पचपदरा

राजस्व **अपील** अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 932 जो सरपंच ग्राम पंचायत मांजीवाला द्वारा आदेश दिनांक 22.3.2012 को अस्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत ,अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।

2.उतरदाता संख्या 01 अनुपस्थित।

3. उतरदाता संख्या 02 की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित।

4.उतरदाता संख्या 03 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 16.01.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:42 IST
Reason: SelfAttested

1.संक्षेप में यह अपील ग्राम–मांजीवाला पचपदरा क्षेत्र मांजीवाला तहसील पचपदरा के नामान्तरकरण संख्या 92 पर पारित ग्राम पंचायत मांजीवाला आदेश दिनांक 22.3.2012 सें असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है। अपील के साथ होनें अपीलाधीन आदेश की जानकारी विलम्ब सें होना अपील के प्रस्तुतीकरण में हुयें विलम्ब की वजह बतातें हुए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मांजीवाला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1001/757 रकबा 2-07 बीघा भूमि उतरदाता संख्या 03 की संयुक्त खातेदारी की अवस्थिति थी,जिसमें उतरदाता संख्या 03 का 37/940 हिस्सा निहित था। उतरदाता संख्या 03 द्वारा अपीलाण्ट को जरिये रजिस्ट्री सम्पूर्ण हिस्सा बेचान किया गया और अपीलाण्ट द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी को बेचानपत्र पेश कर नामान्तकरण भरनें का निवेदन किया गया। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बेचानपत्र के आधार पर अपीलाण्ट के पक्ष में नामानतकरण संख्या 932 भरा गया और भू.अ.निरीक्षक जसोल द्वारा नामान्तकरण को तस्दीक कर सरपंच ग्राम पंचायत माजीवाला के समक्ष स्वीकृति के लिए पेश किया। सरपंच ग्राम पंचायत मांजीवाला द्वारा बिना विधिक जांच किए अपीलाधीन भूमि पूर्व में 90 बी होने का अंकन करते हुए अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण खारिज कर दिया गया,जो कि विधि के विरूद्व आदेश पारित किया गया था। क्योंकि अपीलाधीन भूमि की कृषि भूमि है और अपीलाण्ट का वक्त खरीद से आदिनांक मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जबकि इस संबध में अपीलाण्ट को कोई पूर्व में ज्ञान नहीं था। अभी अपील लाने से पूर्व विवादित भूमि की नकलें लेने हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किये जाने पर सर्वप्रथम पता चला कि विवादित भूमि में अपीलाण्ट का नाम ही दायर नहीं है। जो ज्ञान होने पर अधिवक्ता से सर्म्पक कर विवादित भूमि की नकले लेने पर अन्दर म्याद नामान्तकरण अपील पेश की गई है। अतःअपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त करते हुए विवादित भूमि में उतरदाता संख्या 03 के ~~साथ~~ स्थान पर अपीलाण्ट का ~~भी~~ नाम दायर किया जावें।

3.अपीलाण्ट की अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदाता को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। उतरदाता संख्या 01 की ओर से इकबालीया जवाब पेश किया। उतरदाता संख्या 02 की ओर से जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। उतरदाता संख्या 03 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिए कि ग्राम मांजीवाला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1001/757 रकबा 2-07 बीघा भूमि उतरदाता संख्या 03 की संयुक्त खातेदारी की अवस्थित थी,जिसमें उतरदाता संख्या 03 का हिस्सा 37/940 निहित था। उतरदाता संख्या 03 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलाण्ट को जरियें रजिस्ट्रर्ड बेचानपत्र संखय 647/2008 को सप्रतिफल प्राप्त करते हुए किया गया। वक्त खरीद अपीलाधीन भूमि पर अपीलाण्ट को कब्जा सुपुर्द किया और वक्त खरीद से आदिनांक अपीलाण्ट का मौके पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

काश्त चला आ रहा है। अपीलाण्ट की ओर से खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण भरवाने के लिए बेचानपत्र प्रति हल्का पटवारी जसोल को सुपुर्द करने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण भरा जाकर भू.अ.निरीक्षक जसोल को पेश किया और भू.अ.निरीक्षक जसोल द्वारा नामान्तकरण तस्दीक कर सरपंच ग्राम पंचायत मांजीवाला को पारित करने हेतु पेश किया गया। सरपंच ग्राम माजीवाला द्वारा नियम से परे जाकर विवादित भूमि की 90 बी होने का उल्लेख कर नामान्तकरण संख्या 932 अस्वीकृत किया गया। जो कि अपीलाण्ट के साथ कुठराघात किया गया है। क्योंकि अपीलाण्ट की ओर से कृषि भूमि क्रय की गई, और कृषि भूमि होने के कारण भी उपपंजीयक जसोल द्वारा रजिस्ट्री की गई। जबकि उतरदाता संख्या 01 द्वारा नियमों से परे जाकर विवादित नामान्तकरण को गलत खारिज किया गया था। जबकि अपीलाण्ट यही समझता रहा है कि अपीलाधीन भूमि में अपीलाण्ट के नाम नामान्तकरण भरा जा चुका है। अभी अपीलाण्ट को अन्य कार्यो के लिए विवादित भूमि की जमाबंदी नकल प्रति की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सम्पूर्क करने पर उन द्वारा अवगत करवाया गया कि अपीलाण्ट का विवादित भूमि में नाम भी दायर नहीं है और अभी उतरादाता संख्या 03 का ही नाम यथावत चल रहा है। तब अपीलाण्ट की ओर से जानकारी होने के अन्दर म्याद अपील पेश की गई है। अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए वकील अपीलाण्ट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन भूमि में अपीलाण्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि का नामान्तकरण संख्या 932 नियम से परे जाकर खारिज किया गया है,उक्त आदेश को निरस्त करते हुए अपीलाधीन भूमि में उतरदाता संख्या 03 का हिस्सा 37/940 के स्थान पर अपीलाण्ट के नाम नामान्ताकरण दर्ज करने के आदेश फरमावे।

5.उतरदाता संख्या 02 की ओर से राज.पैरोकार की बहस है,कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भूमि की किस्म कृषि भूमि इन्द्राज है और कृषि भूमि होने के आधार पर ही तत्समय उप पंजीयक जसोल द्वारा विवादित भूमि की रजिस्ट्री की गई थी। जो अपीलाण्ट अपने साक्ष्य सबूतो के आधार पर अपील को साबित करने का भार है।

6.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तजोवजात व अपीलाधीन नामान्तकरण का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मांजीवाला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 57/1 रकबा 2-07 बीधा किस्म बारानी दोयम की संयुक्त खातेदारी में से खातेदार उतरदाता संख्या 03 प्यारीदेवी पत्नि मांगीलाल कौम राजपुरोहित निवासी मांजीवाला हिस्सा 37/940 जरियें रजिस्ट्री बेचान अपीलाण्ट को किया,जो उप पंजीयक जसोल द्वारा दिनांक 16.02.2008 को रजिस्ट्री पंजीबद्व की गई,जो बेचानपत्र की फोटोप्रति से प्रमाणित है। उक्त बेचानपत्र के आधार पर विवादित नामान्तकरण तत्कालीना हल्का पटवारी द्वारा भरा गया और भू.अभिलेख निरीक्षक जसोल द्वारा नामान्तकरण को तस्दीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कर सरपंच ग्राम पंचायत मांजीवाला को पेश किया और सरपंच ग्राम पंचायत मांजीवाला द्वारा विवादित भूमि पूर्व में 90 बी होने का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज किया गया,जो नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है। जो कि नियमों से परे जाकर आदेश पारित किया गया है। क्योकि विवादित भूमि वर्तमान में भी उतरदाता संख्या 03 के नाम इन्द्राज है और भूमि की किस्म बारानी दोयम इन्द्राज है। उतरदाता संख्या 03 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई,जिससे प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किए जाने में उनकी मौन स्वीकृति है,यदि उजर एतराज होता,तो आपति पेश करते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया तथा उतरदाता संख्या 01 की ओर से अपीलाण्ट की अपील के समर्थन में इकबालीया जवाब पेश किया गया। जहां तक म्याद के बिन्दु का प्रश्न है,कि अपीलाण्ट द्वारा नामान्तकरण की जानकारी होने के बाद अन्दर म्याद अपील पेश की गई है एवं शून्य नामान्तकरण के विरूद्व अपील पेश करने की कोई म्याद भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद सुमार की जानी उचित प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत भी न्यायालय यह उचित समझती है,कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन भूमि के संबध में बेचानपत्र दस्तोवज व अन्य समग्र जांच कर अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण अपीलाण्ट के हक में पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7.लिहाजा अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद सुमार कर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है,ग्राम पंचायत मांजीवाला के नामान्तकरण संख्या 932 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत मांजीवाला के आदेश दिनांक 22.3.2012 को निरस्त कर, प्रकरण इन निर्देशो के साथ तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है,कि उतरदाता संख्या 03 प्यारीदेवी पत्नि मांगीलाल कौम राजपुरोहित हिस्सा 37/940 बेचानपत्र व रेकर्ड स्थिति की जांच करते हुए अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण विधिनुसार अपीलाण्ट के हक में नये सिरें से पारित करे।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

आदेश आज दिनांक 19/7/23 को लिखा जाकर सरे इजलास [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड [illegible]कारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा